



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267021
CG-DL-E-18102025-267021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4573]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4573]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4702(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 239 (अ), दिनांक 24 मार्च 1998 और संख्या का.आ. 78 (अ), दिनांक 4 फरवरी 1999 द्वारा, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (नया एनएच-16) के खंड (किमी 0.00 – किमी 3.40, किमी 3.40 – किमी 75.00 (विजयवाड़ा-एलुरु खंड), किमी 354.775 – किमी 434.150 (चिलकलुरिपेट-विजयवाड़ा खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) को सौंपा है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात “नियम” के रूप में उल्लेखित है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के विजयवाड़ा बाईपास के चिन्ना औवुटुपल्ली से गोलापुडी खंड तक (डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.000) की चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 10.390 कि.मी (1.039 कि.मी लंबाई वाली, तालिका-3) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा 28.961 कि.मी लंबाई वाले बाईपास [सारणी -2] (दस करोड़ रुपये या अधिक लागत

वाले) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का डेढ़ गुणा पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से रियायत अवधि की समाप्ति की तारीख से कंसेसनेयर के साथ उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए देय होगा: -

तालिका -2						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वेदुरूपवल्लु गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के कि.मी 13+040 (डिजाइन चैनेज) पर	विजयवाड़ा बाईपास	डिजाइन कि.मी 0.000	डिजाइन कि.मी 30.000	28.961	987.08	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
कुल लंबाई				28.961		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

तालिका -3			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई [^] (कि.मी में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वेदुरूपवल्लु गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के कि.मी 13+040 (डिजाइन चैनेज) पर	1.039 [^]	10.390	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	1.821	2.067	सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) @ किमी. 1.944	0.246
2	4.538	4.599	बड़ा पुल (एमजेबी) @ किमी. 4.569	0.061
3	23.440	23.530	बड़ा पुल (एमजेबी) @ किमी. 23.485	0.090
4	26.439	26.549	बड़ा पुल (एमजेबी) @ किमी. 26.494	0.110
5	26.960	27.492	सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) @ किमी. 27.226	0.532
कुल				1.039

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/- रुपए (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

तालिका -4		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने

के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1581.24 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. 11088/सी-जी(वीबीपी)/टोल अधिसूचना/पीआईयू-वीआईजे/एनएचएआई/ई-238730]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4702(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S. O 239(E), dated 24th March 1998 and S.O. 78(E), dated 4th February 1999 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches (Km 0.00 – Km 3.40, Km 3.40 – Km 75.00 (Vijayawada – Eluru section), Km 354.775 – Km 434.150 (Chilakaluripet-Vijayawada section) of National Highway Number-5 (New NH-16) in the state of Andhra Pradesh, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (herein after referred to as the said "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 10.390 km (having length of 1.039 km [Table-3]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 28.961 km [Table-2] costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Vijayawada Bypass from Chinna Auvutupalli to Gollapudi (from design kilometer 0.000 to kilometer 30.000) section of National Highway number 16 in the State of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving	3.45

Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-2						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 13+040 (Design Chainage) of NH-16 near Vedurupavuluru Village, in Krishna District of Andhra Pradesh	Vijayawada Bypass	Design Km 0.000	Design Km 30.000	28.961	987.08	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length				28.961		

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structures [^] (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 13+040 (Design Chainage) of NH-16 near Vedurupavuluru Village, in Krishna District of Andhra Pradesh	1.039 [^]	10.390	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under:-

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	1.821	2.067	Road Over Bridge (ROB) @ km. 1.944	0.246
2	4.538	4.599	Major Bridge (MJB) @ km. 4.569	0.061
3	23.440	23.530	Major Bridge (MJB) @ km. 23.485	0.090
4	26.439	26.549	Major Bridge (MJB) @ km. 26.494	0.110
5	26.960	27.492	Road Over Bridge (ROB) @ km. 27.226	0.532
Total				1.039

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.350.00 (Rupees Three hundred fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper each in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 1581.24 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. 11088/C-G(VBP)/TollNotification/PIU-VIJ/NHAI/E-238730]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.